न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.03.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00141

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री मांगीलाल पिता डालू मेघवाल निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–प्यारीबाई पिता डालू मेघवाल निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–बगदीबाई पिता डालू मेघवाल निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–रूकमणबाई पिता डालू मेघवाल निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–श्रीमति प्रताबीबाई पत्नि डालू मेघवाल निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा मि. न. 59/70 आवंटन दिनांक 08.01.1971

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
2– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्र. सं. 08/2018 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी बनाम श्री मांगीलाल पिता डालू मेघवाल निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश कर निवेदन किया कि मौजा सोमपुर बी की साबिक आराजी नम्बर 221 रकबा 7.14 बीघा किस्म बिलानाम भूमि में से 3 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से डालू पिता हमेरा मेघवाल को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 59/70 से दिनांक 08.01.1971 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 65 दिनांक 17.04.1971 से डालू पिता हमेरा मेघवाल के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब करने पर जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ से उक्त पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त हुई। अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं होकर पड़त है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि मौजा सोमपुर बी की आराजीयात आराजी नम्बर 221 रकबा 7.14 बीघा में से 3.00 बीघा भूमि का विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता एवं विपक्षी संख्या 5 के पति डालू पिता हमेरा मेघवाल को तत्कालीन भू आवंटन कमेटी द्वारा गैर खातेदारी हक से

आवंटन किया जिसके वर्तमान में नवीन आराजी नम्बर 302 रकबा 0.65 हैक्टेयर होकर विपक्षीगण के कब्जे एवं काश्त में है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता एवं विपक्षी संख्या 5 के पति डालू पिता हमेरा मेघवाल को मौजा सोमपुर बी की बिलानाम साबिक आराजी संख्या 221 रकबा 7.14 बीघा में से 3.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जिसको आराजी नम्बर 221/1 दिया गया जो कि नामान्तरण संख्या 65 दिनांक 17.04.71 से डालू पिता हमेरा मेघवाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज किया। उक्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 302 रकबा 0.65 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 302 रकबा 0.65 हैक्टेयर विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का सांगरिया के मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 से होती है।

पटवार हल्का सांगरिया ने अपने मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा-काश्त नहीं होकर मौके पर पड़त होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी एवं विपक्षीगण का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण को आराजी नम्बर 221 रकबा 7.14 बीघा में से 3.00 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 302 रकबा 0.65 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)